



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 42/2018**

**अपीलार्थी**

जगदीश प्रसाद चौधरी  
प्लॉट न.-51, गोविन्द विहार विस्तार  
गुर्जर की थड़ी,  
जयपुर, राजस्थान

**बनाम**

**प्रत्यर्थी**

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं  
अतिरिक्त निदेशक  
स्वायत्त शासन विभाग, डी एल बी  
जयपुर

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

**दिनांक : 25-04-2018**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री घनश्याम व्यास, अधिवक्ता उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 17-6-17 के द्वारा वित्त वर्ष 2013-14, 2015-16 व 2016-17 में कनिष्ठ अभियंताओं सहायक अभियंताओं, अधिशाषी अभियंताओं की पदोन्नति आदि के सम्बन्ध में 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 20-9-17 से सूचना संलग्न कर प्रेषित की जा चुकी है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 20-2-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर, प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित है, से प्रत्यर्थी के पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)

मुख्य सूचना आयुक्त